



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

वेबसाइट—www.ukpsc.gov.in

E-mail : sewatwo2@gmail.com

विज्ञापन संख्या—A-1 /डी0आर0/डिग्री/सेवा-2/2021-22

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	04 दिसम्बर, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	24 दिसम्बर, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

01. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए।
02. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण के अन्तर्गत Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अवश्य अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
03. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
04. आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण—पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
05. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

06.	आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं अनुभव इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
07.	अभ्यर्थी एक विषय के पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें। एक विषय के पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के इस प्रकार आवेदित समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जायेंगे।
08.	यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों के पदों की अर्हता धारित करता है एवं तदनुसार एक से अधिक विषयों के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु आवेदन करना होगा।
09.	साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ विज्ञापन के निर्देशानुसार अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण आदि) की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना अतिआवश्यक होगा।
10.	यदि अभ्यर्थी की अंक-तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक-तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है, साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशत (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र साक्षात्कार से पूर्व मांगे जाने वाले अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
11.	शासन से प्राप्त सह-विषयों की सूची अभ्यर्थियों के सूचनार्थ <u>परिशिष्ट-01</u> पर उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची के पश्चात भी विज्ञापित किसी विषय/पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो इस संबंध में शासन/विभाग के परामर्श के अनुसार तत्समय आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
12.	ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से <u>परिशिष्ट-02</u> में वर्णित अनुपात के अनुसार अभिलेख प्राप्त किये जाएंगे। अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभिलेखों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की छँटनी API (Academic Performance Indicators) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में API स्कोर से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरें। अन्यथा उक्त से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
13.	असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें यूजी0सी0 विनियम 2009 अथवा 2016 के अनुरूप Ph.D. डिग्री प्रदान हुई है, उन्हें विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के बिन्दु संख्या 4(1)IA(ii) के क्रम में <u>परिशिष्ट-03</u> पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व Ph.D. पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को विज्ञापन के बिन्दु संख्या 4(1)IA(ii) के परन्तुक में उल्लिखित शर्तों के सम्बन्ध में <u>परिशिष्ट-04</u> पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराये गये प्रमाणपत्र का संज्ञान लिया जाना सम्भव नहीं होगा।
14.	असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने की दशा में सम्बन्धित प्रमाण-पत्र <u>परिशिष्ट-05</u> एवं शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव के लिए प्रमाण-पत्र <u>परिशिष्ट-06</u> के

	निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव विदेश से अर्जित किया है, उन्हें संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
--	---

उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक आचार्य) (समूह 'क') के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु इस विज्ञापन के बिन्दु-4 के अन्तर्गत उल्लिखित तालिका-3(B) के अनुसार API (Academic Performance Indicators) स्कोर के आधार पर **परिशिष्ट-02** में वर्णित अनुपात में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में विषयवार रिक्तियों के सापेक्ष अभिलेखों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को Shortlist किया जायेगा। अभिलेखों के परीक्षण के क्रम में अहं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा तथा **श्रेणीवार/उपश्रेणीवार** रिक्तियों के सापेक्ष चयन, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

1. रिक्तियों का विवरण:-

असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की कुल संख्या 455 है। रिक्तियों की यह संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

(i) रिक्त पदों का विषयवार/श्रेणीवार विवरण:-

क्र. सं०	विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल पद
1.	हिन्दी (Hindi)	09	02	08	03	11	33
2.	अंग्रेजी (English)	21	07	17	02	05	52
3.	संस्कृत (Sanskrit)	05	02	00	02	10	19
4.	भूगोल (Geography)	03	03	03	02	08	19
5.	अर्थशास्त्र (Economics)	13	04	15	02	08	42
6.	राजनीति शास्त्र (Political Science)	09	01	03	01	10	24
7.	समाजशास्त्र (Sociology)	08	01	08	01	05	23
8.	इतिहास (History)	04	01	03	02	14	24
9.	शिक्षाशास्त्र (Education)	01	00	01	00	02	04
10.	मनोविज्ञान (Psychology)	02	00	00	00	00	02

क्र. सं०	विषय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल पद
11.	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)	01	00	00	00	00	01
12.	दर्शनशास्त्र (Philosophy)	00	00	00	00	01	01
13.	गृह विज्ञान (Home Science)	04	00	02	02	07	15
14.	सैन्य विज्ञान (Military Science)	02	00	00	00	00	02
15.	संगीत (Music)	00	00	01	00	01	02
16.	सांख्यिकी (Statistics)	00	00	00	00	01	01
17.	भूगर्भ विज्ञान (Geology)	01	00	01	01	03	06
18.	चित्रकला (Drawing & Painting)	00	00	01	00	01	02
19.	मानव विज्ञान (Anthropology)	01	00	00	00	00	01
20.	भौतिक विज्ञान (Physics)	22	03	07	00	04	36
21.	रसायन विज्ञान (Chemistry)	22	06	03	00	03	34
22.	जन्तु विज्ञान (Zoology)	16	05	12	00	01	34
23.	वनस्पति विज्ञान (Botany)	07	04	04	01	05	21
24.	गणित (Mathematics)	14	05	01	01	08	29
25.	वाणिज्य (Commerce)	10	04	08	01	02	25
26	बी०सी०ए० (B.C.A)	01	00	01	00	01	03
कुल योग		176	48	99	21	111	455

(iii) विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण :-

क्र.सं.	असिस्टेंट प्रोफेसर / विषय	दिव्यांगजन के लिए रिक्त पद	दिव्यांगता की श्रेणी				
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	
1.	हिन्दी	04	01 (बी0ए0)	01 (ओ0ए0)	01 (पी0बी0 अथवा पी0डी0)	0	01 (बी0ए0)
2.	अंग्रेजी	04	01 (ओ0ए0)	01 (डी0)	02 (01 ओ0ए0, 01 पी0डी0)	0	0
3.	संस्कृत	02	0	0	0	0	02 (01 बी0, 01 पी0डी0)
4.	भूगोल	01	0	0	0	0	01 (ओ0ए0)
5.	अर्थशास्त्र	03	01 (बी0ए0)	0	02 (01 बी0, 01 ओ0ए0)	0	0
6.	राजनीति शास्त्र	02	01 (पी0डी0)	0	01 (पी0बी0)	0	0
7.	समाजशास्त्र	02	01 (पी0बी0 अथवा पी0डी0)	0	0	0	01 (पी0डी0)
8.	इतिहास	03	0	0	01 (पी0डी0)	0	02 (01 बी0ए0, 01 पी0डी0)
9.	गृह विज्ञान	01	0	0	0	0	01 (ओ0ए0)
10.	भौतिक विज्ञान	03	02 (01 बी0ए0, 01 ओ0ए0)	0	0	0	01 (पी0डी0)
11.	रसायन विज्ञान	01	0	0	01 (ओ0ए0)	0	0
12.	जन्तु विज्ञान	02	02 (01 बी0ए0, 01 ओ0ए0)	0	0	0	0
13.	वनस्पति विज्ञान	03	02 (01 बी0ए0, 01 ओ0ए0)	0	0	0	01 (बी0ए0)
14.	गणित	01	0	0	0	0	01 (बी0ए0)
15.	वाणिज्य	04	01 (पी0बी0)	0	02 (01 ओ0ए0, 01 बी0ए0)	0	01 (ओ0ए0)

नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां ओ0ए0, बी0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, डी0, पी0डी0 निर्धारित हैं। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

2. वेतनमानः —

₹ 15,600—39,100 ग्रेड पे— ₹ 6000 /— वेतन मैट्रिक्स (₹ 57700—1,82,400 /—)

3. पद का स्वरूपः—

राजपत्रित/स्थायी/अस्थायी (अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-'क')।

4. शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायेः—

(1) शैक्षिक अर्हतायेः—

I. For the Disciplines of Arts, Commerce, Humanities, Education, Law, Social Sciences, Sciences, Languages, Library Science, Physical Education, and Journalism & Mass Communication.

Eligibility (A or B):

- A. (i) A Master's degree with 55% (50% in case of SC/ST/OBC(non-creamy layer)/Persons with Disabilities) marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
- (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET :

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions :-

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/ seminars sponsored/funded/supported by the UGC / ICSSR/ CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

Note 1: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

Note 2: For the post of Assistant Professor (BCA), candidates must possess MCA degree.

OR

- B.** The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) The Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

Note: **The Academic score as specified in Appendix II (Table 3B) for Government Degree Colleges, shall be considered for short-listing of the candidates for Interview only, and the selections shall be based only on the performance in the Interview.**

Table 3(B) (As mentioned in UGC Regulations dated 18 July, 2018)

Criteria for Short-listing of candidates for Interview for the Post of Assistant Professors in Government Degree Colleges:-

S.N.	Academic Record	Percentage	Score
1.	Graduation	80% & Above	21
		60% to less than 80%	19
		55% to less than 60%	16
		45% to less than 55%	10
2.	Post-Graduation	80% & Above	25
		60% to less than 80%	23
		55% (50% in case of SC/ST/OBC(non-creamy layer)/PWD) to less than 60%	20
3.	M.Phil.	60% & above	07
		55% to less than 60%	05
4.	Ph.D.		25
5.	NET with JRF		10
	NET		08
	SLET/SET		05
6.	Research Publications (2 marks for each research publications published in Peer-Reviewed or UGC-listed Journals)		06
7.	Teaching/Post Doctoral Experience (2 marks for one year each) #		10
8.	Awards International/National Level (Awards given by International Organisations/Government of India/Government of India recognised National Level Bodies)		03
	State-Level (Awards given by State Government)		02
Total Score			100

However, if the period of teaching/post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.

Note :

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|----------|
| (A) (i) M.Phil. + Ph.D. | Maximum | - | 25 Marks |
| (ii) JRF/NET/SET | Maximum | - | 10 Marks |

- (iii) In awards category Maximum - 03 Marks
- (B) Number of candidates to be called for interview shall be decided by the Commission.
- (C) Academic Score - 84
 Research Publications - 06
 Teaching Experience - 10
 TOTAL - **100**
- (D) SLET/SET score shall be valid for appointment in Uttarakhand State Universities/ Colleges/ Institutions only.

नोट:- ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका-3(B) के अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 का प्राप्तांक प्रतिशत एवं तदनुसार निर्धारित स्कोर तथा अन्य अर्जित अर्हता हेतु निर्धारित स्कोर की प्रविष्टि करनी होगी। इस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों के आधार पर परिशिष्ट-02 में वर्णित अनुपात में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के क्रम में अभ्यर्थियों से अभिलेख प्राप्त किये जाएंगे। अभिलेखों के परीक्षण में जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों से नहीं होगी, उन्हें अनर्ह कर दिया जाएगा तथा अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरें तथा भरे गये आवेदन पत्र एवं API स्कोर का प्रिन्ट आउट अवश्य प्राप्त कर लें।

II. Music, Performing Arts, Visual Arts and Other Traditional Indian Art Forms like Sculpture, etc.

Eligibility (A or B):

- A. (i) Master's Degree with 55% (50% in case of SC/ST/OBC(non-creamy layer)/Persons with Disabilities) marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/foreign University.
- (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test(NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be.

Provided further, candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges /Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:

- Ph.D. degree has been awarded to the candidate in a regular mode;
- The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- An open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;

- d) Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which, at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two research papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars supported/funded/sponsored by the UGC/AICTE/ ICSSR or any other similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affair) of the University concerned.

Note 1: The clearance of NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC (like SLET/SET).

OR

- B. A traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the subject concerned having a Bachelor's degree, who has;
- (i) studied under a noted/reputed traditional Master(s)/Artist(s);
 - (ii) Has been 'A' grade artist of AIR/Doordarshan;
 - (iii) Has the ability to explain, with logical reasoning the subject concerned; and
 - (iv) Has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the discipline concerned.

नोट:- संगीत विषय के लिए अनिवार्य अर्हता (A or B) के क्रम में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के अनुसार अभिलेखों के परीक्षण हेतु सफल किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

III. Other Details :- As per 3.5 and 3.11 of the UGC regulations 2018

- (i) A relaxation of 5% shall be provided, (from 55% to 50% of the marks) to the Ph.D. Degree holders who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.
- (ii) The time taken by candidates to acquire M.Phil. and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience to be claimed for appointment to the teaching positions. Further the period of active service spent on pursuing Research Degree simultaneously with teaching assignment without taking any kind of leave, shall be counted as teaching experience for the purpose of direct recruitment/promotion. Regular faculty members upto twenty per cent of the total faculty strength (excluding faculty on medical / maternity leave) shall be allowed by their respective institutions to take study leave for pursuing Ph.D. degree.

(2) अधिमानी अर्हतायेः—

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (क) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- (ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन०सी०सी०) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
- (ग) वाद/विवादों, संगोष्ठियों, खेलकूद और अन्य पाठ्येतर कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो, जिससे महाविद्यालय के कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने की योग्यता प्रकट हो,

- (घ) प्रदेश के महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।
- (ङ.) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

- नोट:-**
1. अंशकालिक प्रवक्ता का आशय शासनादेश सं0-4234, दिनांक 22.07.86 द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से है।
 2. विजिटिंग लैक्चरर से आशय शैक्षिक सत्र 2001–2002 से शैक्षिक सत्र 2010–11 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आंमत्रित अभ्यर्थियों से है तथा जो वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

5. आयु सीमा:-

आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

नोट :- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को, जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।

अधिकतम आयु सीमा में छूट:- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

6. राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि—

- (क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाणडा, तन्जानिया से प्रवजन किया हो: परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

7. चरित्रः—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा **पदच्युत व्यक्ति** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । **नैतिक अधमता** के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

8. वैवाहिक प्रास्थितिः—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

9. शारीरिक स्वास्थ्यः—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये ।

10. आरक्षणः—

ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। आरक्षण सबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें ।

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांगजन), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे ।

- (2) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (3) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-07” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-7” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण—पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ—पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ—पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन—पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।
- (4) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस—जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- (5) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या : 133/xxxvi(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। शासनादेश संख्या—124 /XXX(2)/2020—53(01) /2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर—8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षेत्रिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (*Affidavit*) अपने अन्य अभिलेखों के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
- (6) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।
- (7) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या—310 /XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।
- (8) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397 /XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

11. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- (i) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (ii) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now** लिंक पर विलक करें। **Apply Now** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** बटन पर विलक करें।
- (iii) **Apply Now** पर विलक करने के पश्चात खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर विलक करें। **Continue** पर विलक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।
यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर विलक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर विलक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- (iv) **Submit** पर विलक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **RegisteredMobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर विलक करें।
- (v) **Login** करने के पश्चात Educational Details पर विलक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उसके समक्ष **Tick** करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदर्शित होगा।
फार्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation, Post Graduation, NET/SLET/Ph.D. का विवरण भरकर **Add Qualification Details** पर विलक करें। भरी हुई Education का विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Education का विवरण भरने की स्थिति में **Clear** पर विलक कर **Graduation/Post Graduation Details** में Qualification Type में पुनः **Graduation/Post Graduation etc.** का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर विलक करें। इसी प्रकार फार्म में प्रदर्शित प्रविष्टियां भरकर **Save** बटन पर विलक करें।
- (vi) उसके पश्चात **Research Publication, Award & Work Experience** पर विलक कर **Research Publication, Award & Experience** में दिये गये विकल्प के अनुसार प्रविष्टियां भरें। उसके बाद **Submit** बटन पर विलक कर **Save** करें।
- (vii) तत्पश्चात API Control पर विलक कर चुने गये पद के सापेक्ष API प्रदर्शित होगी। Fill API पर विलक कर API में प्रदर्शित हो रहे पद (विषय) से संबंधित शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार प्रविष्टियां अंकित करें। प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात Continue बटन पर

विलक कर Save करें। API को भरने के बाद View API पर विलक कर API में भरी गयी प्रविष्टियां देखी जा सकती हैं एवं त्रुटि होने की दशा में Edit API पर विलक कर प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है। चुने गये सभी पदों/विषयों हेतु सभी पद के सापेक्ष API भरकर I have checked my filled API Details which are true and correct पर टिक कर **All API Submitted and Continued** पर विलक करें।

- (viii) उसके पश्चात दी गयी warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर विलक करें। तत्पश्चात **Upload Images** पर विलक कर **Photo and Signature** को अपलोड करें। Photo and Signature Upload होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद **Click Here For Final Submission** पर विलक करें। तत्पश्चात **Print Application Form** पर विलक कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र एवं **Print API** पर विलक कर API का प्रिंटआउट प्राप्त करें।
- (ix) **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Login कर **Cancel My Application** बटन पर विलक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर विलक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर विलक करें। **Proceed to Cancel** पर विलक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपीओ प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर विलक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (x) अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में यदि कोई गलत सूचना प्रदान की जाती है अथवा सूचनाओं के समर्थन में गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट: 1. **Final Submission** किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-ID/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात **Update Personal Information** पर विलक कर, Personal Information, **Update Educational Information** पर विलक कर, Educational Qualification **Update Research Publication, Award and Work Experience** पर विलक कर Research Publication, Award and Work Experience **Update API Information** पर विलक कर API Information एवं **Reload Images** पर विलक कर Photo and Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडीओ एवं मोबाइल नंबर को Edit/Update नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. **Final Submission** के पश्चात आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

12. शुल्कः—

शासनादेश संख्या—388/xxx(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

13. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया/API-स्कोर/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

I. आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

- (01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (03) ऑनलाइन आवेदन—पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-
- (i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन—पत्र/प्रमाण—पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष**

प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनहूं अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनहूं अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञाप्ति, राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

II. API-स्कोर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (01) ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों से परिशिष्ट-02 के अनुसार विषयवार रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख प्राप्त किये जाएंगे। शैक्षणिक व अन्य प्रमाण—पत्रों/अभिलेखों से ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की सत्यता की पुष्टि न होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अनहूं घोषित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात अहूं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतः API स्कोर की प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरें।
- (02) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र/API स्कोर की प्रिंटआउट प्रति सहित शैक्षणिक अभिलेख प्राप्त किये जाएंगे, जिनकी सन्निरीक्षा (Scrutiny), सन्निरीक्षा नियमावली—2019 के अनुसार की जाएगी। सन्निरीक्षा के क्रम में आयोग के निर्णयानुसार अहूं अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

III. साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (01) अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) के क्रम में आयोग के निर्णयानुसार अहूं अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- (02) साक्षात्कार हेतु अहूं अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र इत्यादि के प्रमाण—पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञाप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी। यदि अभ्यर्थी की अहृता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- (03) मूल प्रमाण—पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व—प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (04) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का ‘अनापत्ति प्रमाण—पत्र’ मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (05) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।
- (06) आयोग द्वारा विज्ञापित पद का चयन परिणाम, पद की संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 (समय—समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

14. सामान्य निर्देशः—

- (01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन / परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें।
- (02) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (03) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (04) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयु के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किये गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (06) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (08) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण—पत्र” प्रस्तुत करना होगा।
- (09) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

- (11) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) – सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार से पूर्व अभिलेख सत्यापन कक्ष में आवेदन पत्र/उपस्थित पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (12) अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (13) आयोग परिसर में अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी चयनों में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
- (14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- (15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:**— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- (16) **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:—** 1.
- अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर चयन/परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आवेदन पत्र में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से साक्षात्कार परीक्षा दिलायी हो, कूट रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन/आयोग में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण—पत्र या ऐसे प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनमें तथ्यों को बिंगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा/चयन के लिये अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) परीक्षा/चयन से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ख) परामर्शदाताओं को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा/साक्षात्कार के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. आयोग भवन/परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें आवेदन पत्रों का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा भवन/आयोग से लेकर भाग जाना, परीक्षा/साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा/साक्षात्कार का बहिष्कार करने के लिये उकसाना अथवा 9. परीक्षा/साक्षात्कार आयोजन में अव्यवस्था फैलाना तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. साक्षात्कार परीक्षा

संचालन के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य यन्त्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा/साक्षात्कार की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो अथवा करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (17) **न्यूनतम अर्हक अंक :** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन-2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) के प्राविधानों एवं आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 एवं दिनांक 26 जून, 2019 के अनुसार प्रश्नगत चयन के लिए अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक परिशिष्ट-02 में उल्लिखित है।
- (18) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- (19) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
- (20) अभ्यर्थियों को अनर्ह सूची/साक्षात्कार परीक्षा/चयन परिणाम से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- (21) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम, संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

Sd/-
(कर्मन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट-01

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु सह-विषयों की सूची

क्र0 सं0	विषय	संगत/सह विषय	अभ्युक्ति
1.	हिन्दी	1. भाषा विज्ञान। 2. कुमाँऊनी भाषा। 3. गढ़वाली भाषा।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2.	अंग्रेजी	—	कोई सह-विषय नहीं है।
3.	संस्कृत	—	कोई सह-विषय नहीं है।
4.	भूगोल	भू-सूचना विज्ञान।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5.	अर्थशास्त्र	व्यवहारिक अर्थशास्त्र।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
6.	राजनीति विज्ञान	लोक प्रशासन।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
7.	समाजशास्त्र	सोशल वर्क।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
8.	इतिहास	1. आधुनिक इतिहास। 2. मध्यकालीन इतिहास। 3. प्राचीन इतिहास। 4. पुरातत्व।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
9.	शिक्षाशास्त्र	—	कोई सह-विषय नहीं है।
10.	मनोविज्ञान	—	कोई सह-विषय नहीं है।
11.	शारीरिक शिक्षा	—	कोई सह-विषय नहीं है।
12.	दर्शनशास्त्र	—	कोई सह-विषय नहीं है।
13.	गृह विज्ञान	—	कोई सह-विषय नहीं है।
14.	सैन्य विज्ञान	—	कोई सह-विषय नहीं है।
15.	संगीत	—	कोई सह-विषय नहीं है।
16.	सांख्यिकी	—	कोई सह-विषय नहीं है।
17.	भूगर्भ विज्ञान	1. पैलेन्टालॉजी। 2. भू-विज्ञान।	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
18.	चित्रकला	—	कोई सह-विषय नहीं है।
19.	मानव विज्ञान	—	कोई सह-विषय नहीं है।

20.	भौतिक विज्ञान	1. व्यवहारिक भौतिक 2. पदार्थ विज्ञान	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
21.	रसायन विज्ञान	1. व्यवहारिक रसायन शास्त्र 2. फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
22.	जन्तु विज्ञान	फिशरीज	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
23.	वनस्पति विज्ञान	1. जैव प्रौद्योगिकी 2. जीव विज्ञान	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
24.	गणित	1. व्यवहारिक गणित 2. इंजीनियरिंग मैथ्स	सह-विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
25.	वाणिज्य	—	कोई सह-विषय नहीं है।
26.	बी0सी0ए0	—	कोई सह-विषय नहीं है।

2— इस सूची के पश्चात भी यदि किसी विषय में संबंधित/संगत/संबद्ध विषय संबंधी संशय की स्थिति बनती है, तो इसका निराकरण विभाग द्वारा विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण कराते हुए राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में संचालित मूल विषय के पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत या अधिक की साम्यता के आधार पर किया जाएगा। तदक्रम में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परिशिष्ट-02

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के Academic Performance Indicators (API) स्कोर के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार विषयवार रिक्तियों के सापेक्ष निम्न अनुपात में अभ्यर्थियों से अभिलेख प्राप्त किये जाएंगे:-

रिक्त पद	API स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1 से 5	6 गुना।
6 से 10	5 गुना।
11 एवं अधिक	4 गुना।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों का परीक्षण अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों से किया जाएगा। अभ्यर्थियों के दावों की पुष्टि अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों से नहीं होने पर उन्हें अनर्ह कर दिया जाएगा एवं अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

1. साक्षात्कार परीक्षा हेतु अधिकतम अंकः— 100

2. न्यूनतम अर्हक अंक :— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रवीणता सूची के लिए साक्षात्कार परीक्षा के कुल अंकों का निम्न प्रतिशत श्रेणीवार/उपश्रेणीवार प्राप्त करना अनिवार्य है:—

क्र०सं०	श्रेणी/उपश्रेणी	न्यूनतम प्रतिशत अर्हक अंक
1.	अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी।	45 %
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी।	40 %
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी।	40 %
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी।	35 %

नोट :— न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

परिशिष्ट-03

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

**Ph.D. उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(‘UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.
Degree) Regulations 2009 or 2016’ के मानकों के अनुरूप)**

पत्रांक संख्या :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0/डॉ0.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी इस विश्वविद्यालय/संस्थान में
विषय/उपविषय (Subject/Branch) में
Ph.D/D.Phil हेतु पंजीकृत थे/थीं, जिनका शोध प्रबन्ध का शीर्षक (Topic)
..... है। इनकी पंजीकरण संख्या
एवं पंजीकरण तिथि है। इनको Ph.D./ D.Phil की उपाधि ‘UGC
(Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree)
Regulations 2009 or 2016’ के मानकों के अनुरूप प्रदान की गयी है।

हस्ताक्षर एवं मोहर,
कुलसचिव।

परिशिष्ट-04

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

Ph.D. उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(दिनांक 11.07.2009 के पूर्व पंजीकृत उपाधि धारकों हेतु)

पत्रांक संख्या :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0/डॉ0.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी इस विश्वविद्यालय/संस्थान में
विषय/उपविषय (Subject/Branch) में

Ph.D. हेतु पंजीकृत थे/थी, जिनका शोध प्रबन्ध का शीर्षक (Topic)
है। इनकी पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण तिथि है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपाधि संस्थान/विश्वविद्यालय के तात्कालिक
अध्यादेश/उपविधि/ विनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित थी और पी-एच0डी0 उपाधि धारक
निम्न लिखित शर्तें भी पूर्ण करते हैं :—

(क) अभ्यर्थी को पी-एच0डी0 की उपाधि केवल नियमित पद्धति (Regular mode) से प्रदान
की गई है।

(ख) पी-एच0डी0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया
है।

(ग) अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी है।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी-एच0डी0 कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो,
जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो, :—

शोध पत्र-1. संदर्भित जर्नल (Refereed Journal) का नाम..... ISSN..... No./Vol..... Year	शोध पत्र-2. संदर्भित जर्नल (Refereed Journal) का नाम..... ISSN..... No./Vol..... Year
---	---

(ड.) अभ्यर्थी ने यू0जी0सी0/आई0सी0एस0आर0/ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा ऐसी किसी
एंजेसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने
पी-एच0डी0 कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो :—

संगोष्ठी/सम्मेलन- 1 संगोष्ठी/सम्मेलन का नाम..... संगोष्ठी का दिनांक..... शोध पत्र विषय/शीर्षक.....	संगोष्ठी/सम्मेलन- 2 संगोष्ठी/सम्मेलन का नाम..... संगोष्ठी का दिनांक..... शोध पत्र विषय/शीर्षक.....
--	--

हस्ताक्षर एवं मोहर,
रजिस्ट्रार/डीन (एकेडमिक अफेयर)

परिशिष्ट-05

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021

(उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

पत्रांक संख्या :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0/डॉ.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी..... वर्तमान में संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय
में विषय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तथा संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में इस महाविद्यालय में इनकी कार्य अवधि निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	शैक्षिक सत्र	नियुक्ति की तिथि	अन्तिम कार्य दिवस	कुल अवधि
01.						
02.						
03.						
04.						
05.						

हस्ताक्षर एवं मोहर,
प्राचार्य

परिषिष्ट-०६

Teaching/Post Doctoral Experience Certificate Format

Name of University/College/Institution:

Address of University/College/Institution:

Telephone No.....

Website:

Logo of Office
(If available)

Ref. No..... Date

This is to certify that Shri/Smt./Km./Dr.

Son/Daughter/Wife of shri..... is/was (designation) of
this University/College/Institution and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From (dd/mm/yy)	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent - Regular/ Temporar y/ Contract/ Visiting faculty/ Honorary, etc.)	Nature of Experience : Speciality/ Field of Research/ Technical/ Administr ation/ Academic or any other experience. (Please give details)	Pay scale and last salary drawn	Place of posting	Worked at supervis ory level/ middle manageme nt level/head of branch/ other	Name of Sponsored Agency
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01.									
02.									
03.									

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our University/College/Institution.

Date :

Place :

Sign
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

परिशिष्ट-07

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

1. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
 . नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान
 (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967,
 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
 ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया
 रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

2. उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री
 निवासी ग्राम तहसील नगर
 जिला उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति
 उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि
 उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
 संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील ..
 नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

3. उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिलाउत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का
पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)/ (विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयांकित अधिनियम, 1993 के
ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

4. उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन के लिए प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – तारीख निःशक्तता

प्रमाण—पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कृ०..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री निम्नलिखित
आयु लिंग पहचान चिन्ह श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिशक्तीय पक्षाघात (फॉलिज)

- (i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
- (iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैकिस)
- (v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैकिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (प) बी – अंधता
- (पप) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (प) डी–बधिर
- (पप) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है।
इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। वर्ष महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/ करती हैं:-
- | | |
|---|-----------|
| (i) एफ—अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (ii) पी पी—धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (iii) एल—उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (iv) के सी—घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (v) बी—झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (vi) एस—बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (vii) एस टी—खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (viii) डब्लू—चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (ix) एस ई—देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (x) एच—सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |
| (xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/ नहीं |

(आ0.....)

(आ0.....)

(आ0.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।